दस रुपये TEN RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (46)

प्र. क्र PBR/निगरानी/ग्वालियर/भूराजस्व/2018/1807

रामकिशन पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा निवासी घासमण्डी न–2 मुरार .....प्रार्थी

बनाम

अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशनशर्मा निवासी ग्राम सूरो परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0

2. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशन शर्मा निवासी मोहन भवन के पास घासमण्डी न–2 मुरार
3. नरेश कुमार पुत्र श्री रामकिशन शर्मा निवासी सब्जीमण्डी के सामने घासमण्डी न–2 मुरार
4. श्रीमती कांतिदेवी शर्मा पुत्री श्री रामकिशन शर्मा पत्नी श्री महेशप्रसाद शर्मा एडवोकेट निवासी गाडी अड्डा रोड सुभाषगंज डबरा जिला ग्वालियर ....प्रतिप्रार्थीगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभि. द्वारा आज दि. 15.3.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक दिनांक 22.3.18

15.3.18 राजस्व मण्डल

**म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 36/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांकी 10.07.2014 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी**

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थी की स्वअर्जित संपत्ति की कृषि भूमि ग्राम सूरो तहसील व जिला ग्वालियर मे स्थित सर्वे कमांक कुल किता–12 रकवा 5.550हे0 भूमि तथा ग्राम बैहठा में स्थित सर्वे कमांक 588 रकवा 0.300हे0 भूमि है जो कि रिकॉर्ड मे प्रार्थी के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है । उक्त संपत्ति का घरू बटवारा हुआ जिसमें से ग्राम सूरो में स्थित भूमि का 9–9 बीघा का हिस्सा प्रतिप्रार्थी कमांक–1 लगायत 3 को प्रदाय की गयी और इसी आधार पर तहसील न्यायालय में बटवारा किये जाने बावत् कार्यवाही प्रांरभ की गयी परन्तु प्रतिप्रार्थी कमांक–1 द्धारा प्रार्थी को यह आश्वासन देते हुये कि

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक निगरानी पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2018/1807**

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 06-03-19 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।<br><br>अध्यक्ष | 30/5 |